रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-03102023-249099
SG-DL-E-03102023-249099

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 295] दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 26, 2023/आश्विन 4, 1945 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 237

No. 295] DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 26, 2023/ASVINA 4, 1945 [N. C. T. D. No. 237

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2023

फा. सं. 1(244)/स्था0/पर्या0/2017–18/3688.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितम्बर 1968 की अधिसूचना सं0फा0 24/78/68 –डीएच (एस) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सरकार की अधिसूचना सं0 56(211)/87/वि0मुख्या0/खण्ड–II/1063–70 दिनांक 5 फरवरी 1991 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या हटाए जाने के लिए की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श के पश्चात् एतदद्वारा पर्यावरण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में **वैज्ञानिक** के पद हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :–**

   (i) इन नियमों को वैज्ञानिक भर्ती नियमावली, 2023 कहा जायेगा।

   (ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **अनुप्रयोग** : ये नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 1 में निर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :– पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर के साथ संबद्ध इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं इत्यादि** :–पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

5. **अयोग्यता** :– कोई भी व्यक्ति

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है; या

(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है,

वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

उपबंध है कि सरकार यदि इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति या अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत अनुमति योग्य है तथा ऐसा करने के अन्य आधार हैं तब किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रचालन से छूट प्रदान की जा सकती है।

6. **छूट प्रदान करने की शक्ति** :– जहां सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श से व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।

7. **बचाव** :– इस संबंध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिक तथा व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेंगे।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	**वैज्ञानिक**
2.	**पदों की संख्या**	:	01 (2023)* इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।
3.	**वर्गीकरण**	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा अलिपिकीय, राजपत्रित, समूह 'ख'
4.	**वेतन** मैट्रिक्स में **स्तर**	:	7 अभ्युक्ति : वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 (44900–142400/–रुपये)
5.	**क्या चयन पद है/ गैर चयन पद है**	:	लागू नहीं
6.	**सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा**	:	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसरण में सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिलनीय 6(क) निर्णायक विवरण : आयु सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यथा विज्ञापित होगी ।
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ**	:	**अनिवार्य योग्यताः** **(क) (i)** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पर्यावरण अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि । **(ii)** पर्यावरण संबंधित परियोजनाओं में कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव । अथवा **(i)** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पर्यावरणीय विज्ञान या किसी प्राकृतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि । **(ii)** पर्यावरण संबंधित परियोजनाओं में कार्य करने का एकवर्ष का अनुभव

			वांछनीय **योग्यता** : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान से पर्यावरण अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा पर्यावरणीय विज्ञान या किसी प्राकृतिक विज्ञान में एम0फिल/पी0एच0डी0 । **योग्यता मानक टीप** : अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में लिखित में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है। **अनुभव मानक टीप** : यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग के अभिमत से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय हैं।
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	:	आयुः लागू नहीं शैक्षणिक योग्यताः लागू नहीं
9.	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	:	अभ्युक्ति : सीधी भर्ती वालों के लिए 02 वर्ष टीप : सीधी भर्ती वालों को परिवीक्षा की पूर्णता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथानिर्धारित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रेरक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करना होगा।
10.	**भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति/विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	**पद्धतिः** 100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा टीप : पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर या लम्बी बीमारी के कारण या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष या अधिक लम्बी अवधि के लिये कार्य से अलग रहने के कारण रिक्त पद को प्रतिनियुक्ति के आधार पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार /संघ राज्य क्षेत्र में समरूप पदधारी अधिकारियों में से भरा जा सकता है। (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारी; अथवा (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर–6 के पदों में 05 वर्षों की नियमित सेवा सहित अथवा मूल संवर्ग या विभाग में इसके समकक्ष; तथा (ख) कॉलम सात के अन्तर्गत सीधी भर्ती वालों के लिये निर्धारित योग्यताएं एवं अनुभव रखने वाले।
11.	**यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ विलयन किया जाना है**	:	लागू नहीं । मानक टीप : लागू नहीं ।
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?**	:	**विभागीय पदोन्नति समिति** 1.लागू नहीं (अध्यक्ष) 2. लागू नहीं (सदस्य) 3. लागू नहीं (सदस्य) **विभागीय स्थाईकरण समिति** 1. मुख्य सचिव,रा0रा0क्षे0दि0स0 (अध्यक्ष) 2. संबंधित विभाग का सचिव (सदस्य)

			3. संबंधित विभागाध्यक्ष जब तक कि वह प्रशासन में पदेन सचिव न हो (सदस्य)
13.	**वे परिस्थितियॉं जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	पद भरने के लिए आयोग से परामर्श आवश्यक है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

राजीव रंजन, उप सचिव (पर्यावरण)

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT

NOTIFICATIONS

New Delhi, 26th September, 2023

F. No. 1(244)/Estt./Env./2017-18/3688.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No.F.24/78/68-DH (S), dated the 24th September, 1968, and in supersession of this Government's Notification No.F.56(211)/87/Dev.HQ/Vol.II/1063-70 dated 5th February' 1991 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, with prior consultation with the Union Public Service Commission, is pleased to make the following rules for the post of 'Scientist' in the Department of Environment, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement:-** (i) These rules may be called the Scientist Recruitment Rules, 2023.

   (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Application:**These rules shall apply to the posts specified in column 1 of Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in the pay matrix:-** The number of said post, its classification and level in the pay matrix shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc:-** The method of recruitment to the said post, age-limit, qualification and other matters relating thereto, shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

5. **Disqualifications:-**No person,

   (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

   (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

   shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax:-** Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of person.

7. **Saving:-**Nothing in these rules shall effect reservations, relaxation of age-limit and other concessions, required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen or any other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

ANNEXURE – I

Draft amended RR for the post of Scientist in the Department of Environment, Govt. of NCT of Delhi.

Name of the Post	**Number of posts**	**Classification.**	**Pay Level in the Pay Matrix**	**Whether selection Post / Non-selection Post**
1.	2.	3.	4.	5.
Scientist	**1 (2023)** *Subject to variation dependent on workload.	**GeneralCentral Service** Non-Ministerial Gazetted Group, B	7 Remark: Level - 7 (Rs. 44900 – 142400) in the pay Matrix.	Not Applicable

Age limit for direct recruits

6.

Not exceeding 30 years (relax able for government servants up to 5 years in accordance with instructions or orders issued by Central Government)

6(a)Crucial description: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the UPSC.

Educational and other qualifications required for direct recruits

7.

Essential Qualification - A. (i) Bachelors degree in Environment Engineering from a recognized University or Institute. (ii) Twoyears experience in dealing with environment related projects. OR (i) Masters degree in Environmental Science or in one of the Natural Sciences from a recognized University or Institute. (ii) One year experience in dealing with environment related projects.	**Experience** : Not applicable

Desirable

Qualification: Masters degree in Environment Engineering or M.Phil/Ph.D in Environmental Science or in one of the Natural Sciences from a recognized University or Institute.	**Experience:**
Qualification Standard Note	**Experience Standard Note**
Qualifications are relaxable at the discretion of the U.P.S.C., for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.	The qualification(s) regarding experience is/ are relaxable at the discretion of the U.P.S.C., for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the U.P.S.C., is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them

Whether age and educational qualification prescribed for Direct Recruitment will apply in the case of promotees	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**	
8.	9.	10.	
		Method	**Percentage**
AGE: NA **Edu.Qual**: NA	2 Year Remark: 2 years for direct recruits Note: Direct	Direct Recruitment Note: 100 percent direct recruitment Note:	100

<table>
<tr><td></td><td>recruits would be required to successfully complete a mandatory induction training of at least two weeks duration, as prescribed by the competent authority, for completion of probation.</td><td>Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government/State Govts./UTs: (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with 5 years regular service in posts in level 6 of the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Col. 7.</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">In case of recruitment by Prom/ Dep./ abs. grades from which prom/ dep/abs to be made.</td></tr>
<tr><td colspan="4">11.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Not Applicable.
Standard Note:
NA</td></tr>
<tr><td colspan="4">If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition</td></tr>
<tr><td colspan="4">12.</td></tr>
<tr><td colspan="2"><u>Departmental Promotion Committee</u>

1. NA (Chairman)
2. NA (member)
3. NA (member)</td><td colspan="2"><u>Departmental Confirmation Committee</u>

1. Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi (Chairman)
2. Secretary of the concerned Department, Govt. of NCT of Delhi (member)
3. Head of Department concerned unless he is ex-officio Secretary in the Administration (member)
-</td></tr>
<tr><td colspan="4">Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.</td></tr>
<tr><td colspan="4">13.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Consultation with the Commission is necessary for filling up the post.</td></tr>
</table>

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,

RAJIV RANJAN, Dy. Secy. (Environment)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2023.10.03 18:17:02 +05'30'